

भाषा (Language)

भाषा शब्द संस्कृत की 'भाष्' धातु से बना है। इसका अर्थ है—बोलना। अतः मनुष्य बोलने के लिए जिन ध्वनियों का प्रयोग करता है, उसे भाषा कहते हैं। मुख से उच्चरित ध्वनियों का एक निश्चित क्रम होता है, तभी वह भिन्न-भिन्न शब्दों का निर्माण कर पाती हैं और विचारों के आदान-प्रदान में सक्षम होती हैं। इस प्रकार,

भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों एवं विचारों को बोलकर तथा लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को पढ़कर एवं सुनकर ग्रहण करता है।

भाषा के रूप (Kinds of Language)

उपर्युक्त परिभाषा के आधार पर भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं:

1. मौखिक अथवा कथित भाषा
2. लिखित भाषा

1. मौखिक अथवा कथित भाषा (Spoken Language) : भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान-प्रदान बोलकर और सुनकर किया जाता है, उसे मौखिक अथवा कथित भाषा कहते हैं। शिक्षक का पढ़ाना, परस्पर वार्तालाप, अंत्याक्षरी करना, फोन पर वार्तालाप करना, भाषण, कविता पाठ आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं।

मौखिक भाषा सरल रूप में सीखी जा सकती है। इसके द्वारा कम समय में अधिक बातें की जा सकती हैं। इसके प्रयोग से धन व समय की बचत होती है किंतु यह भाषा का अस्थायी रूप है।



2. लिखित भाषा (Written Language) : भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान-प्रदान लिखकर तथा पढ़कर किया जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। शिक्षक द्वारा श्यामपट पर लिखना, समाचार पत्र-पत्रिकाएँ, छात्रों द्वारा पत्र लिखना, कहानी लिखना, फैक्स आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं।

लिखित भाषा प्रयत्नपूर्वक सीखी जाती है। यह भाषा का स्थायी रूप है। भाषा का लिखित रूप अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा हम अपने विचारों को लाखों लोगों तक पहुँचा सकते हैं तथा लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं।



3. सांकेतिक भाषा (Symbolic Language) : संकेतों अथवा इशारों द्वारा मन के भावों एवं विचारों को व्यक्त करने की प्रक्रिया सांकेतिक भाषा कहलाती है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग सभी प्रकार के विचारों को प्रकट करने के लिए नहीं किया जा सकता। चौराहे पर यातायात नियंत्रित करता सिपाही, मूक-बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप, गार्ड द्वारा हरी झंडी हिलाकर गाड़ी चलाने का संकेत आदि सांकेतिक भाषा के उदाहरण हैं। इस भाषा का व्याकरण में अध्ययन नहीं किया जाता।

याद रखिए

- हमेशा संकेतों के माध्यम से हम अपने विचार दूसरों को नहीं समझा सकते। इसके लिए हमें भाषा के लिखित अथवा मौखिक रूप का ही सहारा लेना पड़ता है। इसी कारण सांकेतिक भाषा को व्याकरण में स्थान नहीं दिया गया है।

विश्व में अनेक भाषाएँ प्रचलित हैं। प्रत्येक देश की अलग भाषा होती है। इसके माध्यम से वे अपने भाव तथा विचार दूसरे देश के नागरिकों के सामने व्यक्त करते हैं; जैसे—अंग्रेजी, जर्मन, रूसी, फ्रेंच, हिंदी, चीनी, स्पेनिश आदि भाषाएँ अलग-अलग देशों में बोली जाती हैं। विश्व में अंग्रेजी भाषा का **प्रथम**, हिंदी भाषा का **दूसरा** और अन्य भाषाओं का **तीसरा** स्थान है।

भारत की भाषाएँ (Languages of India)

भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर अनेक जाति व धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ अलग-अलग भाषाएँ बोली जाती हैं; जैसे—**महाराष्ट्र** में मराठी, **बंगाल** में बंगाली, **असम** में असमी, **केरल** में मलयालम, **तमिलनाडु** में तमिल, **गुजरात** में गुजराती आदि। हमारे देश में बोली जाने वाली ऐसी **बाईस** (22) भाषाओं को संविधान में मान्यता प्रदान की गई है। हिंदी को **राष्ट्रभाषा** तथा **राजभाषा** घोषित किया गया है।

भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाएँ इस प्रकार हैं:

असमी	सिंधी	कन्नड़	उड़िया	कश्मीरी	कोंकणी	मराठी
बंगाली	उर्दू	मणिपुरी	गुजराती	तेलुगु	डोगरी	संस्कृत
मलयालम	बोडो	तमिल	नेपाली	पंजाबी	संथाली	मैथिली

मातृभाषा (Mother tongue) : मातृभाषा का शाब्दिक अर्थ है—मातृ अर्थात् माँ, भाषा अर्थात् बोली जाने वाली भाषा। माँ द्वारा या परिवार द्वारा बोली जाने वाली भाषा। बच्चा जिस परिवार में पलता व बड़ा होता है, उसी परिवार में बोली जाने वाली भाषा को वह सबसे पहले समझना व बोलना सीखता है। यही भाषा उसकी **मातृभाषा** कहलाती है।

राष्ट्रभाषा (National Language) : ऐसी भाषा जो देश में अधिकतम लोगों द्वारा बोली व समझी जाती है, वह उस देश की **राष्ट्रभाषा** कहलाती है। भारत में हिंदी भाषा को **राष्ट्रभाषा** का स्थान प्राप्त है।

प्रादेशिक भाषा (State Language) : किसी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा **प्रादेशिक भाषा** कहलाती है; जैसे—

प्रदेश	भाषा	प्रदेश	भाषा	प्रदेश	भाषा
कश्मीर	कश्मीरी	पंजाब	पंजाबी	महाराष्ट्र	मराठी
कर्नाटक	कन्नड़	ओडिशा	उड़िया	गुजरात	गुजराती
केरल	मलयालम	तमिलनाडु	तमिल	मणिपुर	मणिपुरी
प० बंगाल	बंगाली	हरियाणा	हरियाणवी	असम	असमिया
आंध्र प्रदेश	तेलुगु	उत्तर प्रदेश	हिंदी	गोआ	कोंकणी, मराठी

राजभाषा (Official Language) : राजभाषा का अर्थ है—**सरकारी भाषा**। इससे तात्पर्य यह है कि सभी सरकारी काम-काज इसी भाषा में किए जाएँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर, 1949 को **हिंदी** को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को पूरे देश में **हिंदी-दिवस** के रूप में मनाया जाता है।

यह भी जानिए

- अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी 'संपर्क भाषा' भी है।
- भारत की राजभाषा 'अंग्रेजी' तथा 'हिंदी' दोनों हैं। अमेरिका की राजभाषा 'अंग्रेजी' है।

अंतरराष्ट्रीय भाषा (International Language) : जो भाषा विश्व के अधिकांश राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है, वह **अंतरराष्ट्रीय भाषा** कहलाती है। **अंग्रेजी** को 'अंतरराष्ट्रीय भाषा' का स्थान प्राप्त है।

मानक भाषा (Standard Language) : समय-परिवर्तन के साथ भाषा लेखन में विविधता आ जाना स्वाभाविक है। ऐसे में विद्वानों एवं शिक्षाविदों द्वारा भाषा में एकरूपता लाने के लिए भाषा के लिखने का एक रूप निश्चित कर लिया जाता है। यही निश्चित रूप **मानक भाषा** कहलाता है; जैसे—

वर्ण का अमानक रूप	>	ऋ	रव	छ	श	ध	भ	ळ	रा
वर्ण का मानक रूप	>	अ	ख	छ	श	ध	भ	ल	ण

बोली (Dialect)

किसी प्रांत के सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का सामान्य रूप **बोली** कहलाता है। बोली भाषा का स्थानीय या क्षेत्रीय रूप होती है। सरकारी काम-काज में इसका प्रयोग बिलकुल नहीं होता। भारत में अवधी, बिहारी, भोजपुरी, मैथिली, गढ़वाली, ब्रजभाषा आदि अनेक बोलियाँ प्रचलित हैं। अतएव,

भाषा के क्षेत्रीय रूप को **बोली** कहते हैं।

लिपि (Script)

जब हम मुख से कुछ बोलते हैं, तो बोलते समय मुख से अनेकों ध्वनियाँ निकलती हैं। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक अलग चिह्न निश्चित होता है। ये चिह्न **वर्ण** या **अक्षर** कहलाते हैं। इन्हीं वर्णों या अक्षरों का प्रयोग जब लिखित भाषा में किया जाता है, तो उसे **लिपि** कहते हैं। अतएव,

किसी भाषा की उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है।

सभी भाषाओं की लिपियाँ एक-सी नहीं होतीं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है; जैसे—

भाषाएँ	लिपियाँ	भाषाएँ	लिपियाँ	भाषाएँ	लिपियाँ
हिंदी	देवनागरी	संस्कृत	देवनागरी	अंग्रेजी	रोमन
फ्रेंच	रोमन	जर्मन	रोमन	पंजाबी	गुरुमुखी
उर्दू	फ़ारसी	बंगाली	बांग्ला	मराठी	देवनागरी

याद रखिए

- देवनागरी लिपि का विकास 'ब्राह्मी लिपि' से हुआ है। यह बाई से दाई ओर लिखी जाती है।
- फ़ारसी लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती है।
- लिपि के कारण ही ज्ञान-विज्ञान के कोश को आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है।

व्याकरण (Grammar)

वह शास्त्र जिसके द्वारा हमें किसी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने व पढ़ने के नियमों का ज्ञान होता है, व्याकरण कहलाता है।

व्याकरण के विभाग (Divisions of Grammar)

भाषा की सबसे छोटी इकाई **वर्ण** अथवा **अक्षर** होते हैं। वर्णों के संयोग से **शब्द** और इन्हीं शब्दों के संयोग से **वाक्य** बनते हैं। अतः इसी आधार पर व्याकरण के तीन विभाग अथवा अंग माने गए हैं जो इस प्रकार हैं:

1. वर्ण-विचार
2. शब्द-विचार
3. वाक्य-विचार

1. वर्ण-विचार (Phonology) : इसके अंतर्गत वर्णों के उच्चारण, वर्गीकरण तथा उनके मेल से शब्द बनाने के नियम आदि का उल्लेख किया जाता है।



2. शब्द-विचार (Morphology) : इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, उत्पत्ति, रचना आदि का अध्ययन किया जाता है।

3. वाक्य-विचार (Syntax) : इसके अंतर्गत वाक्य के स्वरूप, भेद, विश्लेषण, रचना आदि का अध्ययन किया जाता है।

विशेष : इनके संबंध में हम अगले अध्यायों में विस्तार से अध्ययन करेंगे।

साहित्य (Literature)

प्रत्येक भाषा के ज्ञाता, विद्वानों और शिक्षाविदों द्वारा जो ज्ञान लिपिबद्ध कर सुरक्षित रखा जाता है, वह **साहित्य** कहलाता है। साहित्य के अध्ययन से मानव जाति का बौद्धिक और मानसिक विकास होता है। इनके अंतर्गत सभी रचनाएँ अनुभव एवं चिंतन पर आधारित होती हैं। अतएव,

किसी भाषा के संचित ज्ञानकोश को **साहित्य** कहा जाता है।

साहित्य के प्रकार (Types of Literature)

रचना के आधार पर साहित्य दो प्रकार का होता है:

1. गद्य साहित्य

2. पद्य साहित्य

1. गद्य साहित्य (Prose Literature) : छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से मुक्त तथा विचारपूर्ण एवं वाक्यबद्ध रचना को **गद्य** कहते हैं। सामान्यतः दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली बोलचाल की भाषा में गद्य का ही प्रयोग किया जाता है; जैसे—

गुरुनानक ने प्रेम का संदेश दिया है। उनका कथन था कि ईश्वर नाम के सम्मुख जाति और कुल के बंधन निरर्थक हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन का जो चरम प्राप्तव्य है वह स्वयं प्रेमरूप है।

2. पद्य साहित्य (Verse Literature) : अपने मन के भाव प्रकट करने के लिए जो भाव काव्य-रूप में लिखे जाते हैं; उन्हें **पद्य** कहते हैं। कविता, पद, दोहे, चौपाइयाँ आदि जिस माध्यम से कही जाती हैं, उसे **पद्य साहित्य** कहते हैं; जैसे—

जाल परे जल जात बहि, तजि मीनन को मोह।

रहिमन मछरी नीर को, तऊ न छाँड़त छोह॥



आओ दोहराएँ



- ❖ भाषा मन के भावों एवं विचारों के आदान-प्रदान का साधन है।
- ❖ भाषा के मुख्यतः दो रूप हैं: मौखिक अथवा कथित भाषा, लिखित भाषा।
- ❖ संकेतों द्वारा मन के भावों एवं विचारों को व्यक्त करने की प्रक्रिया संकेतिक भाषा कहलाती है।
- ❖ विश्व में अंग्रेजी भाषा का 'पहला', हिंदी भाषा का 'दूसरा' और अन्य भाषाओं का 'तीसरा' स्थान है।
- ❖ भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है।
- ❖ भारतीय भाषाओं में हिंदी को राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा घोषित किया गया है।
- ❖ किसी भाषा की उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है।
- ❖ भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने व पढ़ने के नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है।
- ❖ व्याकरण के तीन विभाग हैं: वर्ण-विचार, शब्द-विचार, वाक्य-विचार।

